नगर निगम रोहतक की दिनांक 14.11.2014 को हुई सामान्य बैठक की कार्यवाही रिर्पोट

दिनांक 14.11.2014 को सांय 04:00 बजे बैठक हाल, जिला विकास भवन, रोहतक में श्रीमती रेनू, मेयर, नगर निगम रोहतक की अध्यक्षता में नगर निगम की सामान्य बैठक आयोजित की गई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0-1, नगर निगम, रोहतक।
2. श्रीमती ममता रानी, सदस्य वार्ड नं0-2, नगर निगम, रोहतक।
3. श्रीमती सुशीला इंदौरा, सदस्य वार्ड नं0-3, नगर निगम, रोहतक।
4. श्रीमती मंजू, सदस्य वार्ड नं0-6 एवं वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
5. श्रीमती सरिता, सदस्य वार्ड नं0-7, नगर निगम, रोहतक।
6. श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक।
7. श्री बलराज सिंह, सदस्य वार्ड नं0-9, नगर निगम, रोहतक।
8. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-10, नगर निगम, रोहतक।
9. श्रीमती अनिता मिगलानी, सदस्य वार्ड नं0-11, नगर निगम, रोहतक।
10. श्री गुलशन ईशपुनियानी, सदस्य वार्ड नं0-12, नगर निगम, रोहतक।
11. श्री संजय, सदस्य वार्ड नं0-13, नगर निगम, रोहतक।
12. श्रीमती नीरा, सदस्य वार्ड नं0-14, नगर निगम, रोहतक।
13. श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक।
14. श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक।
15. श्रीमती पूनम, सदस्य वार्ड नं0-18, नगर निगम, रोहतक।
16. श्री अनिल, सदस्य वार्ड नं0-19, नगर निगम, रोहतक।
17. श्रीमती लक्ष्मी, सदस्य वार्ड नं0-20, नगर निगम, रोहतक।

सर्वप्रथम मेयर नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों, आयुक्त नगर निगम रोहतक तथा नगर निगम अधिकारियों/कर्मचारियों का बैठक में भाग लेने पर स्वागत किया। सर्वप्रथम दिनांक 09.06.2014 को हुई बैठक की कार्यावाही व उस पर सम्बन्धित विभागों द्वारा की गई कार्रवाई रिर्पोट जोकि पत्र क्रमांक MCR/2014/111 दिनांक 03.11.2014 द्वारा सभी पार्षदों को भेजी गई थी, पढकर सुनाई गई। सभी द्वारा इसकी पुष्टि करते हुए निम्नलिखित मदों को पुनः आगामी बैठक मे रखने के लिए कहा गया:-

मद संख्या	एजेंडा	निर्णय
4	सैक्टर 36-ए में दी हरियाणा को.प्रो.हाउस बिल्डिंग सोसायटी लि. अपनी भूमि जिसका खसरा न. 7348 (0-8) 7357 (3-17) व 7371 (3-10) कुल रकबा 7 बिघे 15 बिसवे= 4.843 एकड़ भूमि की टी.पी. स्कीम स्वीकृत करवाना चाहते है। इनके प्रार्थना पत्र पर केस की जांच पड़ताल की गई तथा L.A.O. Urban Estate, Rohtak, DT.P. Rohtak की रिर्पोट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व विभाग द्वारा प्रस्तुत इन्तकाल व सजरा अनुसार यह भूमि अधिग्रहण से छूटी हुई है तथा विकास प्लान रोहतक 2021 के अनुसार Residential Zone में पडती है तथा मौके पर खाली है। हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994	बैठक में निर्णय लिया गया कि सोसायटी का समस्त विवरण, उनकी जमीन का विवरण, सदस्यों का विवरण पुनः सोसायटी से लेकर सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाया जाए।

	की धारा 267 (1) के अनुसार टी.पी. स्कीम पर विचार से पूर्व प्रस्तावित भूमि को Unbuilt Area घोषित करने का प्रावधान है। इस प्रावधान के अन्तर्गत इस केस को नियमानुसार पाया गया। अतः इस पर विचार उपरान्त यदि अनुमति हो तो सरकार को केस हरियाणा म्यूनिसिपल एक्ट 1994 की धारा 267 (1) के तहत Unbuilt Area घोषित करने के लिए सरकार के विचार के लिए अपनी सहमति सहित भेजने का प्रस्ताव सदन में स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।	
10	एजेंडा में वर्णित सभी बिन्दूओं पर चर्चा उपरांत अध्यक्ष महोदया की अनुमति से निम्नलिखित मदो को प्रस्तुत किया गया:- (II) पार्षदों को टोल प्लाजा में छूट देने बारे। (III) पार्षद वार्ड नं0 14 ने सदन को अवगत करवाया कि मेयर नगर निगम ने केवल अपने वार्ड में वाटर कूलर लगवाने बारे कार्रवाई की है। जनहित में सभी वार्डो में सार्वजनिक स्थलो पर वाटर कूलर लगाए जाएं। (IV) शास्त्री नगर में स्कूल के कमरे बनाने बारे। (V) जगदीश कालोनी के नेहरा पार्क का नाम राजीव पार्क रखने बारे। (XIII) पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मेडिकल सुविधा देने बारे। (XIV) नगर निगम द्वारा पार्को में पूर्व में लगाये झूलों की गुणवत्ता जांच एवं नये झूले लगाये जाने बारे।	(II) इस बारे निर्णय लिया कि पार्षदों को टोल टैक्स (Transit Tax) में छूट देने के लिए हरियाणा सरकार को भेजे पत्रों की प्रति मेयर, वरिष्ठ उप-मेयर तथा उप-मेयर को उपलब्ध करवाई जाये। ताकि मेयर महोदया अपने स्तर पर भी सरकार से पत्राचार कर सकें तथा सरकार को तुरन्त स्मरण पत्र जारी किया जाये। (III) इस बारे दिनांक 09.06.2014 की बैठक में निर्णय लिया गया था कि नगर निगम फंड से पार्षद द्वारा चिन्हित सार्वजनिक स्थल पर वाटर कूलर लगवाया जाये। वाटर कूलर का बिजली बिल एवं रख रखाव पार्षद द्वारा करवाया जाऐगा। अतः इस बारे कार्यकारी अभियंता-I तथा II, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गये कि 10 दिन के अन्दर-2 सभी पार्षदो द्वारा चिन्हित स्थल पर वाटर कूलर स्थापित करवाया जाये तथा रिपोर्ट आगामी बैठक में सदन के समक्ष प्रस्तुत की जाये। **(कार्यकारी अभियंता-I तथा II, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)** (IV) इस बारे निर्णय लिया गया कि शास्त्री नगर में स्कूल के कमरे सर्वशिक्षा अभियान के तहत अतिरिक्त उपायुक्त रोहतक को पत्र लिख जाये। (V) इस बारे निर्णय लिया गया कि जगदीश कालोनी के शहीद नेहरा पार्क का नाम न बदला जाये। इसका नाम शहीद नेहरा पार्क ही रहेगा। (XIII) इस बारे निर्णय लिया कि पार्षदों को हरियाणा सरकार के प्रथम श्रेणी के अधिकारियों के समकक्ष मेडिकल सुविधा देने के लिए हरियाणा सरकार को भेजे पत्र की प्रति मेयर, वरिष्ठ उप-मेयर तथा उप-मेयर को उपलब्ध करवाई जाये। ताकि मेयर महोदया अपने स्तर पर भी सरकार से पत्राचार कर सकें तथा इस बारे सरकार को स्मरण पत्र भेजा जाये। (XIV) इस बारे निर्णय लिया गया कि नगर निगम द्वारा पार्को में लगाये झूलो की गुणवत्ता जांच हेतू दिनांक 18.11.2014 तक अधीक्षक अभियंता वार्ड नं0 1, वार्ड नं0 11 तथा वार्ड नं0 15 के पार्षद बैठक करके विचार विमर्श करके सभी पूर्व में लगाये गये झूलों की जांच उपरांत आगामी बैठक मे रखेंगे। **(अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

	(XIV) वर्कस कमेटी नगर निगम की राशी से अन्य विभागों द्वारा करवाए जा रहे निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच हेतू।	(XIV)वर्कस कमेटी के अतिरिक्त वार्ड से सम्बन्धित पार्षद भी निर्माण कार्यो की गुणवत्ता की जांच हेतू समिति का सदस्य होगे। इसके अतिरिक्त अधीक्षक अभियंता को डिपोजिट वर्कस की सभी विभागों से व नगर निगम के सभी कार्यो की सूचि तीन दिन के अन्दर उपलब्ध करवाने के निर्देश दिये गये। इसके अतिरिक्त चेयरमैन वर्कस कमेंटी जांच के लिए शैडयूल जारी करेंगे। **(अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
	<u>वार्ड नं0-8 :- (श्रीमति उपासना, पार्षद)</u> (I.) राजीव आवास योजना के तहत खेडी साध, पहरावर, बलियाणा गांव के कुछ पात्रों लाभ न मिलने बारे। (II.) रिंग बांध की रिपेयर एंव स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे।	(I.) इस बारे निर्देश दिये गये कि राजीव आवास योजना के तहत गांव खेडी साथ, पहरावर तथा बलियाणा के पात्रों की समस्याओ बारे कार्यकारी अभियंता व कनिष्ठ अभियंता सहित सम्बन्धित पार्षद से बैठक कर 15 दिन में सभी समस्यों का निवारण करेंगे। अन्यथा वे व्यक्तिगत स्तर पर जिम्मेवार होगे। **(कार्यकारी अभियंता (राजीव आवास योजना) व कनिष्ठ अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)** (II.) रिंग बांध की रिपेयर एंव स्ट्रीट लाईट लगवाने बारे कार्यकारी अभियंता-। को पुनः टैण्डर आमन्त्रित करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता-। , नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
	<u>वार्ड नं0-10 :- (श्री अशोक, पार्षद)</u> (I.) बारातघर माडल टाउन से अवैध कब्जा हटवाने बारे।	(I.) बारातघर माडल टाउन ने बरातघर की मलकियत बारे स्पष्ट नही है। अतः इस बारे भू-अधिकारी को इस भवन पर नोटिस चस्पा करवाने के निर्देश दिये गये। नोटिस चस्पा करने उपरांत इस भवन की मलकियत नगर निगम के अधीन करने के निर्देश दिये गये। **(भू-अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
	<u>वार्ड नं0-16 :- (श्री अशोक, पार्षद एवं उपमेयर)</u> (V) शुगरमिल कालोनी मकानों के सामने पडी खाली भूमि मकान मालिको को बेचने बारे।	(V) शुगरमिल कालोनी लेबर विभाग द्वारा विकसित की गई थी इसलिए मकानो के आगे उपलब्ध अतिरिक्त भूमि की मलकियत मकान मालिको को स्थानांतरित करने के लिए भू-अधिकारी को लेबर विभाग को पत्र लिखने के निर्देश दिये गये। **(भू-अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
	<u>वार्ड नं0-20 :- (श्रीमति लक्ष्मी,पार्षद)</u> (I.) वार्ड में स्टेडियम बनाने बारे।	(I.) कार्यकारी अभियंता, नगर निगम, रोहतक को इस कार्य हेतू तकनीकि विशेषज्ञ से राय लेकर नियमानुसार आगामी कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(कार्यकारी अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

दिनांक 09.06.2014 को हुई बैठक की कार्यावाही पर की गई कार्रवाई की पुष्टि उपरांत बैठक में निम्नलिखित मुख्य एजेंडो तथा अतिरिक्त एजेंडो पर विचार विमर्श किया गया तथा निम्नलिखित निर्णय लिये गयेः-

मद सं0	एजेंडा	निर्णय
1	नगर निगम द्वारा जितने भी टैन्डर व वर्क ऑडर रद्ध किए हैं उनका विवरण प्रत्येक पार्षद को लिखित रुप में दिया जाए। बजट आने पर उन्ही कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर करवाया जाए।	नगर निगम द्वारा जितने भी टैन्डर व वर्क ऑडर रद्ध किए हैं उनकी अधीक्षक अभियंता द्वारा पत्र कमांक 1594 व 9926–28 दिनांक..........द्वारा सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। भविष्य में सभी करवाए जाने वाले कार्यो की प्राथमिकता संबधित पार्षदं द्वारा उपलब्ध करवाई जायेगी, उसके पश्चात ही सम्बन्धित कार्यकारी अभियंता निविदा आमन्त्रित करेंगे। सभी वर्क आर्डरो की प्रति पार्षद को उपलब्ध करवाई जायेगी। **(कार्यकारी अभियन्ता–। व ।। द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
2	नगर निगम रोहतक में प्रत्येक वार्ड की जनसंख्या अनुसार व कम से कम 15 सफाई कर्मचारी (एक ट्रेक्टर–ट्रॉली व एक सुपर वाइजर) दिए जाए, जिससे वार्ड की सफाई का काम सुचारु रुप से हो सके।	प्रत्येक वार्ड में नियुक्त सफाई कर्मचारियों का विवरण सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाया जा चुका है। पार्षदों की वास्तविक आवश्यकतानुसार प्रत्येक वार्ड में सफाई कर्मचारी उपलब्ध करवाए जायेगे। सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए 5 ट्रैक्टर ट्राली सफाई कर्मचारियों सहित लेने बारे निर्णय लिया गया। **(मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
3	नगर निगम रोहतक में करवाए जा रहे विकास कार्यो की सैंपलिग हरियाणा सरकार द्वारा अधिकृत लैब से ही करवाई जाए। भविष्य में ऐसा नही करवाए जाने पर कार्य से संबंधित कार्यकारी अभियंता ही जिम्मेदार होगे।	यथा प्रस्तावित अनुमोदित। विकास कार्यो की सैपल टैस्टिंग एन.आई.टी. कुरूक्षेत्र लैब, सोनीपत लैब, श्रीराम लैब, बी.एण्ड.आर लैब हिसार द्वारा इसके अतिरिक्त अधीक्षक अभियंता पी.डब्लयू.डी. द्वारा सुझाये गये लैब द्वारा करवाने हेतू अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गये। **(अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
4	नगर निगम सीमा से संबंधित यदि किसी विभाग से मतभेद है तो उसे जल्द से जल्द निपटा कर जनहित के कार्य शुरु करवाए जाए।	यथा प्रस्तावित अनुमोदित। **(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
5	नगर निगम सीमा में बने सभी चौकों तथा स्वतंत्रता सैनानियों के बुथों का विशेष तौर पर सौदर्यकरण करवाया जाए व सफाई का विशेष ध्यान दिया जाए। जैसे लाला लाजपत राय चौक, शहीद भगत सिंह चौक आदि।	यथा प्रस्तावित अनुमोदित। **(कार्यकारी अभियन्ता–। व ।। द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
6	नगर निगम रोहतक की सीमा के अन्दर आने वाले अवैध कब्जों को हटवाया जाए और यदि किसी मलकियत जगह पर गंदगी के ढेर हैं तो उसे उठवाकर चारदीवारी के लिए मकान मालिक को नाटिस दिया जाए।	यथा प्रस्तावित अनुमोदित। इसके अतिरिक्त अवैध कब्जों को हटवाने के लिए भू–अधिकारी को तुरन्त नोटिस जारी करने व धारा 408 के तहत कार्रवाई करते हुए सभी अवैध कब्जो पर कार्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
7	नगर निगम के अन्दर आने वाले निगम पार्षद के कार्यकाल में जनहित के कार्यो के दौरान अगर कोई अप्रिय दुर्घटना घटती है तो उसका खर्च नगर निगम रोहतक द्वारा वहन किया जाए।	निगम पार्षदों के मैडिकल बिलों की अदायगी के लिए सरकार की स्वीकृति के लिए भेजने का निर्णय लिया गया। **(कार्यालय अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
8	रोहतक नगर निगम में सफाई संबंधित करवाए जाने बारे खर्च का ब्यौरा सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाया जाए। नगर निगम में जितने भी आउट सोर्सिंग पर कर्मचारी लगे हुए हैं उनका बयौरा दिया जाए।	नगर निगम, रोहतक में सफाई शाखा में सफाई कर्मचारियों के वेतन पर प्रतिमाह होने वाले खर्चे का ब्यौरा एवं आऊटसोर्स पर लगे हुये कर्मचारियों का विवरण सभी पार्षदों को उपलब्ध करवाया जा चुका है। कार्यालय अधीक्षक व वरिष्ठ सफाई निरीक्षक सभी

		आउटसोर्स/कन्ट्रैक्ट कर्मचारियों का विवरण भी उपलब्ध करवाए।
9	टेंडर हुए कार्यो की प्रगति रिपोर्ट दी जाए तथा चल रहे कामों में देरी का कारण बताए। (वार्ड नं0 14)	वार्ड नं0 14 में चल रहे कार्यो की सूची पत्र क्रमांक 1549 दिनांक 05.11.2014 द्वारा सबंधित पार्षद को उपलब्ध करवाई जा चुकी है तथा पार्षद द्वारा जारी कार्यो पर संतुष्टि जाहिर की गई।
10	रोहतक नगर निगम की वाणजियक रोड़ की घोषणा करके नक्शे आदि पास करे जाये ताकि नगर निगम की आय भी बढ़ सके तथा जनता को परेशानी भी ना हो।(वार्ड नं0 14)	इस कार्य के लिए एजेण्डा नं0 24 अलग से निर्णय हेतु रखा गया है। **(सहायक नगर योजनाकार द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
11	नगर निगम में पूरे शहर में प्रोप्रटी का डिवीजन तथा सब डिवीजन हो गया है तथा पूरे शहर में नागरिकों को नक्शे आदि पास कराने में मुश्किल आती है। गांधी कैम्प की तर्ज पर पूरे शहर को विशेष दर्जा देकर 30–50 गज के मकानों के नक्शे तुरंत प्रभाव से पास किये जाये।	इसमें निर्णय लिया गया कि सभी पार्षदगण सबंधित क्षेत्र में उपलब्ध कमजोर श्रेणियों की सूची 20.11.2014 तक उपलब्ध करवायेगे जिसको आगामी बैठक में रखने का निर्णय लिया। इसके अतिरिक्त प्रस्ताव सरकार के पास स्वीकृति हेतू भेजा जाये। **(सहायक नगर योजनाकार द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
12	झज्जर रोड बाई पास चौक नहर से पहले का नामकरण संत नामदेव चौक रखा जाए, व गोहाना रोड दयानंद मठ वाले चौक को संत कबीर चौक का नाम रखा जाए।(वार्ड नं0 16)	झज्जर रोड बाई पास चौक तथा गोहाना रोड दयानंद मठ वाले चौक का नामकरण सबंधित मामले को निरस्त करने का निर्णय लिया। नगर निगम किसी भी चौक आदि का नया नामकरण ना करें।
13	नगर निगम के द्वारा शहर के जितने भी पार्को का रख–रखाव का ठेका दे रखा है उसकी जांच करवाई जाए और रख–रखाव ठीक न होने पर ठेका रद्ध किया जाए।	अधीक्षक अभियंता नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गये कि वह सबंधित पार्षदों को वर्क आर्डर व प्रांकलन में वर्णित पार्को में किये जाने वाले कार्य व लगाये जाने वाले कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध करवाएं। **(अधीक्षक अभियंता द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
14	भविष्य में रोहतक नगर निगम में जितने भी विकास कार्य हों वो नगर निगम रोहतक द्वारा ही किये जाए न कि अलग विभागो से, और जो आज तक अलग विभागों से विकास कार्य करवाए हैं, उनके लिए भी पार्षदों की एन.ओ.सी. अनिवार्य हो।	वर्तमान समय में नगर निगम के विकास कार्य जो कि अन्य विभागों से करवाये जा रहे है उनके बिलों की अदायगी करते समय 50 प्रतिशत तथा फाईनल बिल के भुगतान के समय सबंधित पार्षद से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेने बारें निर्णय लिया गया यदि 15 दिन के अन्दर–2 अनापत्ति प्राप्त नही होती तो इस स्थिति में बिल की अदायगी करने बारे भी निर्णय लिया गया। **(कार्यकारी अभियन्ता–I व II तथा वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
15	नगर निगम के अन्दर वार्ड नं0 2 में शास्त्री नगर में आने वाले सरकारी स्कूल में बच्चों के बैठने के लिए कमरे बनवाए जाए व हर वार्ड में सूलभ शौचालय बनवाया जाए, आवश्यकता अनुसार कुड़ा उठाने वाली रेहड़ियॉ दी जाए व नगर निगम की जगह पर पार्षद के सूझाव पर सामूदायिक केंद्र व आंगनवाड़ी केंद्र बनवाया जाए व प्रत्येक वार्ड में जो वाटर कूलर दिये हैं उनकी फिटिंग की जाए।(वार्ड नं0 2)	प्रत्येक वार्ड में वाटर कूलर 10 दिन के अन्दर लगवाने बारे सबंधित कार्यकारी अभियंताओ, नगर निगम, रोहतक को निर्देश दिये गयें। शहर के सभी सामुदायिक केन्द्रों की सर्वे रिपोर्ट प्राप्त होने उपरांत आगामी कार्रवाई करने बारे निर्णय लिया गया। सभी पार्षद रेहड़ियों की आवश्यकता बारे दिनांक 20.01.2014 तक सूचित करेगे। **(कार्यकारी अभियन्ता–I व II द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
16	नगर निगम के वार्ड नं0 12 में शिवम एनकलेव के साथ लगती 12–13 सौ गज जगह खाली पड़ी है उसका निरिक्षण करके बताया जाए कि वह जगह निगम की है या किसी ओर की।(वार्ड नं0 12)	रिवन्यू रिकार्ड की प्रति सम्बन्धित पार्षद को उपलब्ध करवा दी गई। यह भूमि नगर निगम के नाम नही है।
17	**गाँव कन्हेली में वर्ष 1994 में ग्राम पंचायत द्वारा अलॉट किए गए प्लाटों की जगह दोबारा प्लाट अलॉट करने पर उन्हें**	यथा प्रस्ताव अनुमोदित

	अन्यत्र जगह प्लाट देने बारे। ग्राम पंचायत कन्हेली द्वारा वर्ष 1994 में किला नं0 10//16-25, 11//20.2-21.2 में 89 प्लाट धारकों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलॉट किए थे। ग्राम पंचायत द्वारा दिनांक 18.05.2008 को प्रस्ताव पास करके प्लाट धारकों द्वारा अन्दर मियाद प्लाटों का निर्माण न करने पर रद्द करके नए 39 प्लाट इसी जगह अलॉट कर दिए। इसके विरूद्ध पहले वाले प्लाट धारकों ने न्यायालय में अपील दायर कर दी जो उनके हक में स्वीकृत हो चुकी है। माननीय न्यायालय के फैसले के मध्य नजर नए 39 प्लाट धारकों को अन्यत्र जगह किला नं0 37//5 में प्लाट अलॉट किए जाने की प्रक्रिया जारी है। 39 प्लाट धारकों में से 3 प्लाट धारकों को पहले ही प्लाट अलॉट हो चुके हैं 2 गैर हाजिर है। 34 प्लाट धारकों की रजिस्ट्रीयां करवा दी गई है। प्लाटों का कब्जा बकाया है, कार्यवाही जारी है। जिसका प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	
18	**गाँव बलियाणा में महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलाट करने बारे।** गाँव बलियाणा में महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 205 पात्र व्यक्तियों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलाट किए गए है। इनमें से 178 प्लाट धारकों की रजिस्ट्रीयां हो चुकी है बाकी 27 प्लाट धारकों की रजिस्ट्रीयां बकाया है। क्योंकि इनमें से कुछ कच्ची नौकरी पर है। दो व्यक्तियों के नाम गलत है, कई व्यक्तियों की शिकायत है। इस बारे फाईल जांच करने के लिए स्वीकृति हेतु माननीय आयुक्त महोद्य को प्रस्तुत की हुई है। स्वीकृति प्राप्त होने पर बाकी प्लाट धारकों को प्लाटों की रजिस्ट्री का कार्य नियम की परिधि में पूर्ण कर लिया जायेगा। प्लाटों का कब्जा रजिस्ट्री का कार्य पूर्ण होने पर सभी प्लाट धारकों को दे दिया जायेगा। यह ध्यानार्थ सदन की बैठक में प्रस्तुत है।	जिन्हे गलत प्लाट दिये गये है उनकी सूची सम्बन्धित पार्षद द्वारा दिनांक 17.11.2014 तक उपलब्ध करवाई जायेगी। उसके उपरांत अतिरिक्त उपायुक्त, रोहतक को जॉच के लिए भेजा जायेगा। **(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
19	**गाँव सुनारिया खुर्द में महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलाट करने बारे।** गाँव सुनारिया खुर्द में महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 107 प्लाट धारकों को 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलाट किए गए है। इनमें से 104 प्लाट धारकों की रजिस्ट्रीयां हो चुकी है केवल 3 प्लाट धारक गैर हाजिर होने के कारण इनकी रजिस्ट्रीयां बकाया है। जब यह हाजिर आयेंगे तभी इनकी रजिस्ट्रीयां करवा दी जायेंगी। मौके पर कब्जा अभी नहीं दिया गया है। क्योंकि रेत के टिब्बे ऊंचे नीचे है। छोटी-2 कीकर खड़ी है। इस बारे कार्यकारी अभियन्ता-I को जगह समतल करने बारे लिखा गया है। जगह समतल हो जाने पर कब्जा कार्रवाई कर दी जायेगी। प्रस्ताव सदन की बैठक में ध्यानार्थ प्रस्तुत है।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित। प्लाटों की लेवलिंग दिनाक 30.11.2014 तक करवाई जायेगी तथा प्लाटों का कब्जा दिलवाने बारे भू–शाखा को शीघ्र करने बारे निर्देश दिये गये। **(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
20	**गाँव बोहर पाना भोपान में महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाट अलाट करने बारे।** गाँव बोहर पाना भोपान में महात्मा गांधी आवास योजना के तहत 100-100 वर्ग गज के प्लाट 150 प्लाट धारकों को अलाट किए गए है। सभी प्लाट धारकों की रजिस्ट्रीयां हो चुकी है। मौके पर सभी प्लाट धारकों को कब्जा भी दिया जा चुका है। प्रस्ताव सदन की बैठक में ध्यानार्थ प्रस्तुत है।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित **(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
21	**सलारा मौहल्ला में कुम्हार सामुदायिक केन्द्र के नजदीक नया प्राथमिक स्कूल बनाने बारे।** माननीय सांसद सदस्य, रोहतक ने सलारा मौहल्ला में कुम्हार सामुदायिक केन्द्र (धर्मशाला) के नजदीक नया प्राथमिक स्कूल खोलने की घोषणा की है। नये प्राथमिक स्कूल के लिए आधा एकड़ यानि 4-0 कनाल भूमि जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी द्वारा मांग की गई थी, जिसका प्रस्ताव सदन की बैठक में दिनांक 19.02.2014 को पास करवा कर सरकार को नगर निगम की खसरा नं0 6807/6808 रकबा 9 कनाल 15 मरले में से 4-0 कनाल भूमि स्थानान्तरित करने का केस स्वीकृति हेतु भेजा गया था। अब निदेशालय ने दिनांक 11.06.2014 को सूचित किया है कि वर्णित भूमि शिक्षा विभाग को किस रेट पर दी जानी है। अतः नगर निगम, रोहतक की खसरा नं0 6807/6808 रकबा 9 कनाल 15 मरले में से 4-0 कनाल भूमि शिक्षा विभाग को निशुल्क या किस रेट पर दी जानी है। इसका प्रस्ताव सदन की बैठक में पास करवा करके स्वीकृति हेतु केस सरकार को भेजा जाना उचित होगा।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित। प्राथमिक स्कूल खोलने बारे नगर निगम द्वारा शिक्षा विभाग को निःशुल्क जमीन उपलब्ध करवाई जायेगी। **(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

<table>
<tr><td>22</td><td>अर्बन हैल्थ सैन्टर व अर्बन पी. एच. सी. भवन का निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध करवाने बारे।
सिविल सर्जन रोहतक ने रोहतक शहर में अर्बन हैल्थ सैन्टर व अर्बन पी. एच. सी. भवन बनाने के लिए जगह उपलब्ध करवाने का अनुरोध किया है। भूमि का चयन करने के लिए सिविल सर्जन द्वारा एक कमेटी का गठन भी किया गया। गठित कमेटी ने भिवानी फाटक के पास पालिका कालोनी व कन्हैली रोड पर स्थित मारूती ड्राईविंग स्कूल के पास भूमि का चयन किया है। दिनांक 09.06.2014 की बैठक सदन द्वारा प्रस्ताव नं0 5 में पालिका कालोनी में खसरा नं0 1973,1974 में से अर्बन पी. एच. सी. के लिए 400 वर्गगज व कन्हैली रोड पर स्थित मारूती ड्राईविंग स्कूल के पास किला नं0 55/9 रकबा 8-0 कनाल मे से 800 वर्गगज। इसके अतिरिक्त वार्ड नं0 3 बुढ़ी माता शोरा कोठी, रोहतक वार्ड नं0 4 टी0 बी0 हस्पताल परिसर के अन्दर, वार्ड नं0 2 शास्त्री नगर, हिसार पुल के नीचे शहरी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/डिस्पैंसरी के लिए भूमि उपलब्ध है, जिसका प्रस्ताव सदन की बैठक में दिनांक 09.06.2014 को पास किया है। निदेशालय ने दिनांक 16.06.2014 को सूचित किया है कि अर्बन पी0 एच0 सी0 व अर्बन हैल्थ सैन्टर के लिए 2 कनाल भूमि प्रत्येक सैन्टर के लिए Free of Cost दी जाए।
अतः नगर निगम, रोहतक की भूमि का गठित कमेटी द्वारा शहरी प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र/डिस्पैंसरी के लिए किया गया चयन इस प्रकार है:-
i) पालिका कालोनी, रोहतक में 2 कनाल भूमि उपलब्ध है।
ii) कन्हैली में मारूती ड्राईविंग स्कूल के पास 2 कनाल भूमि उपलब्ध है।
iii) वार्ड नं0 3 बुढ़ी माता शोरा कोठी, रोहतक मे 2 कनाल भूमि उपलब्ध है।
iv) वार्ड नं0 4 टी0 बी0 हस्पताल परिसर के अन्दर 2 कनाल भूमि उपलब्ध है।
v) वार्ड नं0 2 शास्त्री नगर, हिसार पुल के नीचे 2 कनाल भूमि उपलब्ध नही है।
निदेशालय के उक्त पत्र दिनांक 16.06.2014 के मध्यनजर मामला सदन के निर्णय हेतु प्रस्तुत है।</td><td>प्राथमिक चिकित्सा केन्द्र / डिस्पैन्सरी के लिए पालिका कालोनी में दो कनाल, कनेहली में मारूति ड्राईविंग स्कूल के पास दो कनाल, वार्ड नं0 3 में बूढी माता शोरा कोठी में दो कनाल तथा वार्ड नं0 4 में टी0 बी0 हास्पिटल परिषद के अन्दर दो कनाल भूमि उपलब्ध करवाने का निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त बलियाणा, शीतल नगर, सुनारिया के स्लम एरियां में भी पी0एच0सी0 खोलने बारे निर्णय लिया गया।
(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)</td></tr>
<tr><td>23</td><td>ग्राम सुनारिया कला में 45 प्लाट रेत के टिब्बा व 8-10 फुट गहरे गडडो में आ जाने पर अन्यत्र जगह प्लाट देने बारे।
ग्राम सुनारिया कला के 148 प्लाट धारको को मौके पर निशानदेही करके प्लाटो का कब्जा उनको दे दिया है, परन्तु निशानदेही व कब्जा देने पर पाया कि 21 प्लाट रेत के टिब्बा में तथा 24 प्लाट 8-10 फुट गहरे गडडो में आ गये है। यह लगभग 45 प्लाटधारक गरीब है। प्लाटो को समतल करने में असमर्थ है। नगर निगम की भूमि किला नं0 59//18-23-24-25 में जो प्लाट काटे गये है। उसके पास किला नं0 59//17-19-22 नगर निगम की कुछ भूमि खाली पडी है। कुछ में टिब्बा है। खाली जगह पर यह 45 प्लाट एडजस्ट किए जा सकते है।
अतः नगर निगम की भूमि किला नं0 59//18-23-24-25 में जो 45 प्लाट जो गहरे गडडो में व टिब्बा में आ गये है। इनकी बजाय किला नं0 59//17-19-22 में खाली पडी भूमि पर प्लाट एडजस्ट करने तथा ततीमा रजिस्ट्री बनाने की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत हैं।</td><td>यथा प्रस्ताव अनुमोदित।
(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)</td></tr>
<tr><td>24</td><td>हरियाणा म्यूनिसिपल बिल्डिंग बाई लॉज 1982 के सब-बाई लॉज 13(1) के अनुसार "Type and character of building including ancillary buildings that may be erected or re-erected on a site and the purpose for which these may be used shall not be other than shown in the area plan or the approved layout plan and where the site does not for a part of such an area plan or layout, the use shall be in conformity with the use of the surrounding area and the decision of the</td><td>नगर निगम कोई नई वाणिज्यिक सडक घोषित नही करेगा। गैर वाणिज्यिक क्षेत्रों में वाणिज्कि नक्शा पास करवाने के लिए सर्वे उपरांत पार्षदों की गठित कमेटी जिसमें श्रीमति नीरा भटनागर, राजबीर सैनी, गुलशन ईशपुनियानी, श्रीमति अनिता मिगलानी, श्री अनिल व सम्बन्धित पार्षद की स्वीकृति उपरांत वाणिज्यिक गतिविधियों वाले क्षेत्र मे वाणिज्कि नक्शा पास करने बारे निर्णय लिया गया, परन्तु TP Scheme, सरकारी कालोनी, Palika Colony, Improvement Trust कालोनीयों पर यह लागू नही होगा।</td></tr>
</table>

	committee shall be final in this respect" को ध्यान में रखते हुए वाणिज्यिक भवन प्लान स्वीकृत किया जा सकता है। अतः TP Scheme के Rehabilitation Colony, Labour Colony व Palika Colony, Improvement Trust की स्कीम को छोडकर शेष में Surrounding Area की वाणिज्यिक रिर्पोट के आधार पर वाणिज्यिक भवन प्लान पारित करने का प्रस्ताव सदन में विचारार्थ एवम् स्वीकृती हेतू प्रस्तुत है।	**(सहायक नगर योजनाकार द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
25	नगर निगम रोहतक क्षेत्र में सभी कालोनियों में मकान नम्बर की प्लेट जिस पर कालोनी का नाम, मकान नम्बर व गली नम्बर अंकित होगा, लगाई जानी है। इसके लिए नगर निगम द्वारा उनके सैम्पल में से जिस प्रकार की प्लेट लगाई जानी है-उसका सैम्पल निर्धारित करना है ताकि उसके अनुसार निविदा आमन्त्रित की जा सके। इसके अतिरिक्त सदन के सदस्यों में से एक कमेटी गठित की जाए जो अपनी उपस्थिति में निविदाएं मंगवाए, उन्हे खोले तथा उनकी स्वीकृती के उपरान्त ही कार्य करवाए जाए। प्रस्ताव सदन में विचारार्थ एवम् स्वीकृती हेतू प्रस्तुत है।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित। नम्बर प्लेट की सैपलिंग को अंतिम रूप देने के लिए पहले से ही निर्धारित वर्कस कमेटी व अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक दिनांक 19.11.2014 को निर्णय लेगें। **(अधीक्षक अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
26	**<u>नगर निगम सीमा में गऊशाला स्थापित करने बारे।</u>** विषयाधीन मामले में नगर निगम द्वारा अपने प्रस्ताव क्रमांक 5 दिनांक 11.11.2013 के अनुसार निर्णय लिया था कि आवारा पशुओं हेतु नगर निगम सीमा में एक गऊशाला स्थापित की जाये। इस कार्य हेतु मेयर नगर निगम की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने बारे निर्णय लिया गया था। इस बारे निम्नलिखित सदस्य मनोनीत किये गयेः- 1. श्रीमति रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम, रोहतक। (अध्यक्ष) 2. श्रीमति मंजू हुड्डा, वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक। (सदस्य) 3. श्री अशोक भाठी,उप मेयर, नगर निगम रोहतक। (सदस्य) 4. श्री राजबीर सैनी, पार्षद वार्ड न0.1, नगर निगम रोहतक। (सदस्य) तदउपरान्त नगर निगम द्वारा अपने प्रस्ताव क्रमांक 10 दिनांक 09.06.2014 में वार्ड नं0 4 के पार्षद एवं मेयर द्वारा उठाए गए बिन्दु (II) में इस प्रस्ताव पर विचार करने उपरान्त निर्णय लिया गया कि पूर्व में गठित कमेटी की रिपोर्ट पर नियमानुसार गऊशाला बनाने हेतु नगर निगम के अधीक्षक अभियन्ता प्रस्तावना प्रस्तुत करेंगे। प्रस्ताव नं0 5 दिनांक 11.11.2013 अनुसार गठित उक्त कमेटी ने विचार विमर्श उपरान्त पाया कि गांव कन्हेली के खसरा नं0 37//6-7-14-15-16-17 में पड़ने वाली 6 एकड़ पंचायती भूमि गऊशाला के निर्माण हेतु उचित है। वर्तमान में राजस्व रिकॉर्ड में यह भूमि नगर निगम के नाम दर्ज है। इसके साथ डेयरी कॉम्पलैक्स बना हुआ है। गऊशाला बनाने के लिए जिला नगर योजनाकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र मांगा गया था। उन्होने दिनांक 08.08.2014 को गऊशाला बनाने की अनुमति नहीं दी है। जिला नगर योजनाकार को दोबारा दिनांक 21.08.2014 को लिखा गया कि जिस जगह पर गऊशाला बनाई जानी है। वह जगह डेयरी कॉम्पलैक्स के साथ लगती है जो R-ZONE का पार्ट है। सरकार द्वारा उसे डेयरी कॉम्पलैक्स बनाया गया है। अतः इस क्षेत्र को Agriculture Plan के लिए छोड़ा जाये ताकि 2031 के Master Plan के Final Publication से पूर्व बदला जा सके। अतः गांव कन्हेली में गऊशाला बनाने का प्रस्ताव स्वीकृति हेतु सदन की बैठक में निर्णय हेतु प्रस्तुत है।	गऊशाला बनाने के लिए वर्तमान डेयरी क्षेत्र का विस्तार करने बारे निर्णय लिया गया। गऊशाला के निर्माण तक सभी पार्षदों को अपने-2 स्तर पर गौ-शाला संचालको से सम्पर्क करके गऊशाला के रख-रखाव व प्रबंध के लिए निर्णय लेने बारे अनुरोध किया गया। अधीक्षक अभियंता गऊशाला का आंकलन बनाकर इसका निर्माण सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त सर्वसम्मति से गऊशाला बनाने हेतू श्री अनिल, पार्षद वाड नं0-19, नगर निगम रोहतक। (सदस्य) तथा श्रीमती उपासना देवी, सदस्य वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक को गठित कमेटी में नामांकित किया गया। अतः गठित कमेटी के सदस्य निम्न प्रकार होंगेः- 1. श्रीमति रेणु डाबला, मेयर, नगर निगम, रोहतक। (अध्यक्ष) 2. श्रीमति मंजू हुड्डा, वरिष्ठ उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक। (सदस्य) 3. श्री अशोक भाठी,उप मेयर, नगर निगम रोहतक। (सदस्य) 4. श्री राजबीर सैनी, पार्षद वार्ड न0.1, नगर निगम रोहतक। (सदस्य) 5. श्रीमती उपासना देवी, पार्षद वार्ड नं0-8, नगर निगम, रोहतक को गठित कमेटी में नामांकित किया गया। 6. श्री अनिल, पार्षद वाड नं0-19, नगर निगम रोहतक। (सदस्य) **(अधीक्षक अभियंता नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
	<u>अतिरिक्त एजेंडा</u>	
	नगर निगम रोहतक में 3 घन मी0 के कूडादान उठाने के लिए डम्पर प्लेसर लेने बारे। नगर निगम रोहतक के पास कूडादान उठाने के लिए वर्तमान में तीन डम्पर प्लेसर है। जिसमें एक डम्पर प्लेसर 3 घन मीटर के एक समय दो कूडेदान व दो डम्पर प्लेसर जो एक समय में एक- एक कूडादान उठाते है। इनके एक डम्पर प्लेसर 2003 व दो डम्पर प्लेसर 2008 के है। नगर निगम में ये पुराने डम्पर प्लेसर कूडा दान पुराने होने के कारण अपनी	यथा प्रस्ताव अनुमोदित।

	पूर्ण क्षमता अनुसार कूडादान नही उठा पाते है। इसके लिए नगर निगम दो नए डम्पर प्लेसर जो एक समय में दो-दो कूडादान उठा सके खरीदना चाहता है। अतः इन्हे खरीदने के लिए Sanitation Committee व कार्यकारी अभियन्ता II , CSI व AO की एक कमेठी गठित की जानी उचित होगी। सदन में विचारार्थ प्रस्तुत है।	
	Construction of Shaheed Bhagat Singh Multistory Parking cum Commercial Complex at old subji Mandi, Rohtak. उपरोक्त विषय पर कार्यकारी अभियंता, प्रान्तीय (Provinical) डिविजन नं0-2, पी.डब्लयू.डी., रोहतक से पत्र क्रमांक 3341 दिनांक 31.10.2014 प्राप्त हुआ है। इसमे उन्होने पुरानी सब्जी मंडी में बन रहे **Multistory Parking cum Commercial Complex** बारे अवगत करवाया है कि पार्किंग बनाने का लगभग 80 प्रतिशत कार्य हो चुका है, परन्तु इसके उपरी भाग (Top floor) पर पार्किंग बनाया जाना संभव नही है। पार्किंग के अतिरिक्त इस स्थल पर सामुदायिक केन्द्र जोकि स्नानघर,बाथरूम व किचन इत्यादि सुविधाओं से परिपूर्ण हो बनाया जाना उचित होगा। अतः मामला सदन में विचारार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई प्रस्तुत है।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित।
	<u>नगर निगम क्षेत्र में स्वच्छता सुनिश्चित करना</u> नगर निगम क्षेत्र को स्वच्छ बनाए रखने के लिए निगम को आम नागरिकों के सहयोग से सख्त कदम उठाने होगें। इसके लिए कुछ कदम प्रस्तावित है:- 1. प्रत्येक दुकानदार अपनी दुकान की सफाई करने उपरांत कूडा अपने स्वयं के कूडादान या नगर निगम के कूडादान/निर्धारित स्थल पर डालेगा। यदि वह इसकी अवहेलना करता है तो प्रतिदिन नगर निगम द्वारा चालान काटा जाए। 2. रेस्टोरेन्ट, होटल, चाय वाले, सभी रेहडी वाले विशेषतः फलो, सब्जी रेहडी वाले, चाट वाले, मूंगफली वाले अपने-2 कूडादान में कूडा डालें यदि उनकी रेहडी की गन्दगी सडक पर पाई जाए तो उनका चालान काटा जाए। तीन दिन में चालान की राशि जमा करवानी अनिवार्य होगी। 3. नगर निगम क्षेत्र में पोलीथीन प्रयोग निषेध होना चाहिए। इसके लिए सभी पार्षद अपने-2 क्षेत्र में लोगो को जागरूक करें। पूरे नगर निगम क्षेत्र में सभी नागरिकों को प्रैस नोट के माध्यम से सूचित किया जाये कि निगम क्षेत्र में 15 दिन के अन्दर-2 सभी पोलीथीन प्रयोग बन्द कर दें। इसके पश्चात निगम पहले थोक विक्रेताओं के एक सप्ताह तक प्रतिदिन चालान काटेगा। उसके पश्चात छोटे दुकानदारों, रेहडी वालो के चालान काटेगा। उसके पश्चात सभी प्रयोग करने वाले व बेचने वालो के चालान काटे जायेंगे। चालान काटने के लिए प्रत्येक वार्ड में निगम के अधिकारियों के अतिरिक्त जनस्वास्थ्य विभाग, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, उपमंडल अधिकारी (ना0), नगराधीश व अन्य अधिकारी निर्धारित किये जायेंगे। ये अधिकारी अपने-2 वार्ड, मार्किट में पोलीथीन बेचने वाले व प्रयोग करने वाले के चालान काटेंगे। चालान जमा न करवाए जाने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी की जायेगी। समस्त कानूनी प्रकिया का खर्चा भी पोलीथीन बेचने वाले या प्रयोग करने वालो से वसूला जाए। 4. सप्ताह में एक दिन वार्ड पार्षद अपने वार्ड में लगे सभी सफाई कर्मचारियों के साथ एक क्षेत्र में सफाई अभियान चलायें। पार्षद द्वारा सम्बन्धित सफाई कर्मचारियो की रिपोर्ट सत्यापित किये जाने उपरान्त कर्मचारी को वेतन जारी किया जायेगा।	1. यथा प्रस्ताव अनुमोदित। **(मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)** 2. यथा प्रस्ताव अनुमोदित। न्यूनतम जुर्माना राशि 500/– रू0 निर्धारित की गई। **(मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)** 3. यथा प्रस्ताव अनुमोदित। सभी सम्बन्धित पार्षदों को अपने–2 क्षेत्रों पोलिथिन प्रयोग न करने बारे जागरूकता अभियान चलाने बारें भी अनुरोध किया गया। **(मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)** 4. यथा प्रस्ताव अनुमोदित। **(मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**

	5. सभी पार्षद अपने-2 वार्ड में आने वाले सफाई कर्मचारियों की उपस्थिति रिपोर्ट प्रत्येक माह की 26 तारीख तक सत्यापित कर देंगे। 6. सडकों पर, फुटपाथ पर जिन दुकानदारों ने पत्थर,सामान,लकडी आदि रखी है, उन द्वारा आम रास्ते रोक रखे है, उन सभी द्वारा 21.11.2014 तक अपने-2 सामान हटा लिए जायें। दुकानदारों द्वारा सामान ना उठाए जाने की अवस्था में नगर निगम द्वारा सामान जब्त कर लिया जायेगा। इसके अतिरिक्त पुलों के नीचे भी जिन लोगों द्वारा सामान रखकर अवैध कब्जे किये गये है वे सभी दिनांक 21.11.2014 तक अपना-2 सामान हटा लें अन्यथा नगर निगम के भू-अधिकारी द्वारा चालान करके सामान जब्त कर लिया जायेगा। यदि दुकानदार चालान की राशि व सामान जब्त करने में आए नगर निगम के खर्चे को तीन दिन के अन्दर जमा नही करवाता है तो उस सामान को सरकारी सम्पति मानते हुए भू-अधिकारी द्वारा नीलाम कर दिया जायेगा। इसके पश्चात भी यदि दुकानदार सामान रखना बन्द नही करता तो नगर निगम द्वारा दुकान को सील करने की प्रक्रिया अमल में लाई जायेगी। इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के हर्जे खर्चे का दुकानदार स्वयं जिम्मेवार होगा। 7. शहर में जो चारे की दुकाने है उनकी दुकानों के आगे व आस-पास आवारा पशुओं को चारा डाला जाता है। अतः सभी चारे वाले यह सुनिश्चित करें कि उनकी दुकान के सामने व आस-पास आवारा पशुओं को चारा डाला जाये। यदि किसी चारे वाले की दुकान के आस-पास आवारा पशुओं को चारा डाला पाया गया तो उसका भू-अधिकारी चालान करेगा। यदि तीन बार चालान के पश्चात वह अपनी दुकान के सामने व आस-पास चारा डालना बन्द नही करता तो उस दुकान को सील कर दिया जायेगा। इस प्रक्रिया में सभी प्रकार के हर्जे खर्चे का दुकानदार स्वयं जिम्मेवार होगा।	5. सफाई कर्मचारियो की रिपोर्ट प्रत्येक मास की 26 तारीक तक सम्बन्धित पार्षद नगर निगम में भिजवाये। यदि 26 तारीक तक उपस्थित रिपोर्ट प्राप्त नही होती तो इस स्थिति में सफाई कर्मचारियों का वेतन जारी करने बारे निर्णय लिया गया। **(मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)** 6. यथा प्रस्ताव अनुमोदित। **(भू-अधिकारी, द्वारा कार्रवाई की जानी है।)** 7. यदि चारे की दुकान वाला सार्वजनिक स्थान/यातायात अवरूद्व/चौराहा पर पशु को चारा डलवा रहा है तो उस स्थिति में उसका चालान काटने तथा यदि वह व्यवसायिक स्थान की सीमा के अन्दर चारा डलवा रहा है तो उस स्थिति में चालान न काटने बारे निर्णय लिया गया। **(वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है।)**
4	**चौधरी मातूराम कम्युनिटी सैन्टर, रोहतक में पडी पुरानी बिल्डिंग को मुरम्मत करके उसमें 1947 के वीर शहीदो को की याद में शहीदी धर्मशाला व शहीद मदन लाल धींगडा का स्मृति स्थल बनाने हेतू।** उपरोक्त विषय पर श्री प्रीतम भ्याना, महासचिव, गांधी नगर सोशल वैलफेयर सोसायटी (रजि.) से प्राप्त पत्र क्रमांक SPL2 दिनांक 22.08.2014 को प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है। इस प्रार्थना पत्र में उन्होने अनुरोध किया है कि चौधरी मातूराम कम्यूनिटी सैन्टर, रोहतक में पडी पुरानी बिल्डिग को मुरम्मत करवाकर 1947 में हुए शहीदों की याद में धर्मधाला बनवाई जाये। उक्त कार्य को सोसायटी अपने खर्चे पर करने में सक्षम है। अतः मामला सदन में विचारार्थ एवं अग्रिम कार्रवाई प्रस्तुत है।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित।
5	**नगर निगम की गांधी कैम्प में 58.25 वर्ग गज भूमि श्री कृष्ण लाल पुत्र आया राम को बेचने बारे।** श्री कृष्ण लाल पुत्र आया राम निवासी गांधी कैम्प, रोहतक ने अपनी मलकीयत में मन्दिर बनाया हुआ है। इसके साथ लगती भूमि 58.25 वर्ग गज नगर निगम की भूमि है। जिसे श्री कृष्ण लाल मोल लेना चाहता है। इस बारे वह सरकार से बार-2 अनुरोध कर रहा है। सरकार ने अपने पत्र क्रमांक 18/40/2012-3क दिनांक 29.06.2012 को श्री कृष्ण लाल का केस अपना स्पष्ट प्रस्ताव/टिप्पणी शीघ्र सरकार को भेजने बारे लिखा है। अतः नगर निगम की भूमि 58.25 वर्ग गज को कलैक्टर रेट या मार्कीट रेट पर श्री कृष्ण लाल को बेचने का	इस विषय पर निर्णय लेने से पूर्व सम्बन्धित पार्षद श्रीमति अनिता मिगलानी, श्री अशोक खुराना, श्री जय किशन व श्री गुलशन ईशपुनियानी पार्षदों की कमेटी गठित की गई। कमेटी की रिपोर्ट आने उपरांत ही आगामी कार्रवाई करने बारे निर्णय लिया गया।

	केस तैयार करके सरकार को स्वीकृति हेतु प्रस्ताव सदन की बैठक में निर्णय हेतु रखा जाता है।	

मेयर, नगर निगम, रोहतक द्वारा बैठक के दौरान दिये गये अतिरिक्त एजेण्डे

1.	नगर निगम में सभी वार्डों मे विकास कार्य करवाने के लिए जो ऐसटिमैट बनाए जाते है उन्हें पहले संबंधित पार्षद व मेयर को सूचित किया जाए उसके बाद टैंडर प्रकिया प्रारंभ की जाए।	**यथा प्रस्ताव अनुमोदित।** **(कार्यकारी अभियन्ता-। व ।।, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है**
2.	नगर निगम के प्रत्येक वार्ड में 3 लाख या इससे ऊपर का विकास कार्य हो तो उसे हाऊस मिटिंग में पास करवाना अनिवार्य होगा।	निरस्त कर दिया गया।
3.	नगर निगम में जल्दी से जल्दी टेंडर प्रक्रिया द्वारा कम से कम 5000 स्ट्रीट लाईट् खरीदी जाए और सभी वार्डों में समान रुप से वितरित किए जाए।	वर्तमान समय में दिये गये टैण्डर अनुसार 1000 स्ट्रीट लाईट तुरन्त प्रभाव से खरीदकर समान रूप से आवश्कतानुसार सभी वार्डो में लगवाई जाये। आगामी खरीद के समय विभिन्न प्रतिष्ठित कम्पनियों फिलिप्स,बजाज, क्राम्पटन आदि अन्य कम्पनियों से भी स्ट्रीट लाईट खरीदने बारे कार्रवाई की जायें। **(अधीक्षक अभियन्ता, नगर निगम, रोहतक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
4.	नगर निगम में आऊट सोर्सिस पर (102) रखे गए कर्मचारी और सफाई कर्मचारीयों की संख्या तथा उनकी ड्यूटी का स्थान व उनके प्रमाण पत्रों की जॉच करवाई जाए और एक कॉपी संबंधित पार्षद को उपलब्ध करवाई जाए।	यथा प्रस्ताव अनुमोदित। **(कार्यालय अधीक्षक, मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
5.	पूरे शहर में लगने वाले आवश्यकता अनुसार स्पीड ब्रेकर लगवाने का कार्य S.D.M. की बजाए निगम के किसी अधिकारी को सौंपा जाए। जैसे J.E., XEN II	स्पीड ब्रेकर के स्थान निर्धारण करने बारे पहले से ही गठित कमेटी में उपमण्डल अधिकारी (ना0) के स्थान पर संयुक्त आयुक्त, नगर निगम, रोहतक को शामिल करने का निर्णय लिया गया। सम्बन्धित पार्षद व कार्यकारी अभियन्ता-। द्वारा स्थान निर्धारित होने के उपरांत केवल रबड के स्पीड़ ब्रेकर लगाये जायें। इसके अतिरिक्त पहले जिन विभागो द्वारा जो स्पीड ब्रेकर लगे हुए है वे रात्रि के समय दिखाई नही देते उन द्वारा स्पीड ब्रेकरों पर चमकने वाला पेन्ट करवाया जाये। **(कार्यकारी अभियन्ता-। द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
6.	1. नगर निगम के वार्ड नं0 16 में तीन पार्क है। एक सूगर मील कोलीनी मेंऔर एक जनता कालोनी मेंहै। इन पार्को को तुरंत प्रभाव से होट्रिकल्चर डिपार्टमेंट को दिए जाए ताकि इनका सौंदर्यकरण करवाया जाए। 2. सर्कयूलर रोड पर हरियाणा स्टेट वेयर का गोदाम है उसको किसी दूसरी जगह शिफ्ट करवाकर वहॉ जनहित के लिए एक पार्क बनवाया जाए।	1. यथा प्रस्ताव अनुमोदित। 2. सरकुल रोड़ पर गोदाम हरियाणा स्टेट वेयर हाऊस की सम्पति है। अतः इसे शिफ्ट करवाने बारे हरियाणा स्टेट वेयर हाऊसिंग को लिखने बारे निर्णय लिया गया। **(भू–अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
7.	महिला आश्रम में विधवा पैंशन की उतनी ही राशीवितरित करवाई जाए होनी जितनी हरियाणा सरकार द्वारा जारी की जाती है।	इस मामले में जिला समाज कल्याण अधिकारी, रोहतक द्वारा उचित कार्रवाई की जानी है। अतः कार्रवाई करवाने बारे जिला समाज कल्याण अधिकारी को भेजा जायें। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
8.	नगर निगम में सभी वार्डों मे विकास कार्य करवाने के लिए जो ऐसटिमेट बनाए जाते है उन्हें पहले संबंधित पार्षद व मेयर को सूचित किया जाए उसके बाद टैंडर प्रकिया प्रारंभ की जाए।	पहले ही क्रम संख्या एक पर अनुमोदित किया जा चुका है।
9.	शहर में जितनी भी मांस मिट्टी की दुकानें हैं उन्हें जल्द से जल्द सरकार द्वारा चिनहित जगह पर शिफट किया जाए, संबंधित अधिकारी द्वारा इस कार्य को करने में लापरवाही करने पर उसके प्रति कड़ी से कड़ी कार्रवाही की जाए।	इस सम्बन्ध में समाचार पत्रों के माध्यम से एक जनसूचना जारी करने व स्वास्थ्य विभाग को उचित कार्रवाई करने बारे लिखने हेतु निर्णय लिया गया। **(मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**

10.	नगर निगम में जितना भी सामान खरीदा या बेचा जाता है उसे हाऊस की मिटिंग में पास करवाना अनिवार्य हो।	इस मामले में विकास कार्यों, चौपालों के मलबे की नीलामी व खरीद हेतू गठित वर्कस कमेटी को शामिल करने बारे निर्णय लिया गया ।
11.	वाणिज्यिक भवन प्लान पारित करने का प्रस्ताव जो सदन में रखा गया है उसके लिए मेयर द्वारा एक कमेटी गठित की गई है, जिसमें निम्नलिखित पार्षद उस कमेटी के सदस्य होंगे।(राजबीर सैनी वार्ड नं0 1, गुलशन ईशपुनियानी वार्ड नं0 12, अनिता मिगलानी वार्ड नं0 11, अनिल वार्ड नं0 19, नीरा भटनांगर वार्ड नं0 14)	इस बारे मुख्य ऐजण्डा के क्रम संख्या 24 पर पहले ही निर्णय लिया जा चुका है।
12.	शहर में जीन्द चौक का नाम अजमीड़ चौक रखा जाए (जिसका पहले से नाम कोई नही है।) और हिसार बाईपास चौक का नामकरण भगवान श्री चित्रगुप्त महाराजा चौक किया जाए।	शहर में जीन्द चौक का नाम व हिसार बाई–पास चौंक का नामकरण सबंधित मामले को निरस्त करने का निर्णय लिया।
13.	महावीर पार्क में दिगम्बर जैन सोसाईटी द्वारा चलाई जा रही लाईब्रेरी के शिलान्यास पट पर सभी पार्षदों का नाम लिखवाना।	महावीर पार्क में दिगम्बर जैन सोसाईटी द्वारा चलाई जा रही लाईब्रेरी के शिलान्यास पट पर सभी पार्षदों का नाम लिखवाने बारे सोसाईटी को लिखने का निर्णय लिया गया। **(भू–अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना है)**
14.	प्रधान, नगरपालिका कर्मचारी संघ, नगर निगम, रोहतक द्वारा दिये गये प्रतिवेदन अनुसार नगर निगम के कर्मचारियों को 100–100 गज के प्लाट देने बारें।	100–100 गज के प्लाट प्राप्त करने की पात्रता पूरी करने वाले कर्मचारियों को नगर निगम द्वारा पहले से ही गढी बोहर में चिन्हित भूमि पर प्लाट देने बारे नियमानुसार आवश्यक स्वीकृति हेतु केस निदेशालय को भेजने बारे निर्णय लिया गया। इसके अतिरिक्त पात्रता निर्धारित करने के लिए कार्यालय अधीक्षक, कार्यकारी अभिंयता–।।, हरीश कुमार, अनुभाग अधिकारी, वरिष्ठ सफाई निरीक्षक तथा यूनियन प्रधान की कमेटी गठित की गई। **(भू–अधिकारी द्वारा निर्णय लिया जाना है)**
15.	नगर निगम, रोहतक से रजिस्टर्ड आर्कीटैक्ट के लाईसैन्स नवीनीकरण बारे।	श्री अशोक कुमार, सदस्य वार्ड नं0-16 एवं उप-मेयर, नगर निगम, रोहतक तथा श्रीमति पूनम किलोई, वार्ड पार्षद–18 ने कहा कि नगर परिषद के समय से लगभग 40 सालो से जो आर्किटैक्ट नक्शे आदि बनाते थे उनके लाईसैंसो का नवीनीकरण किया जाये ताकि इनकी रोजी रोटी चल सके। इस बारे सहायक नगर योजनाकार ने बताया कि उक्त आर्किटैक्टो जो सरकार द्वारा छूट दी गई थी। वर्तमान उन्हे दी गई छूट को सरकार द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः इस बारे इन आर्किटैक्टों छूट देकर लाईसैसों के नवीनीकरण हेतू सरकार को पत्र भेजने का सदन में निर्णय लिया गया। **(सहायक नगर योजनाकार द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
16.	वर्ष 2014–15 के लिए संपत्तिकर के बिल बंटवाने बारे।	नगर निगम, रोहतक क्षेत्र में लम्बित संपत्तिकर की रिकवरी के लिए सम्पत्तिकर बिलो को टैण्डर आमंत्रित करके प्राईवेट कम्पनी के माध्यम से बंटवाने के लिए सदन में निर्णय लिया गया। **(क्षेत्रीय कराधान अधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
17.	पार्षदो को निशुल्क पर्किग सुविधा उपलब्ध करवाने बारे।	श्री राजबीर, सदस्य वार्ड नं0–1, नगर निगम, रोहतक ने बताया कि नगर निगम द्वारा पूर्व में दिये गये स्टीकर की मान्यता शहर के सभी पार्किग स्थलों पर नही दी जाती। अतः इस बारे पार्षदो को निशुल्क पर्किग सुविधा उपलब्ध करवाने बारे उपायुक्त, रोहतक को पत्र भेजने का निर्णय लिया गया।

		(कार्यालय अधीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)
18.	भवन की नींव को नक्शे पास होने उपरांत अधिक उंचा उठाने बारे।	श्री जयकिशन, सदस्य वार्ड नं0-17, नगर निगम, रोहतक ने बताया कि प्रायः देखने में आया है कि नक्शा पास करवाने के उपरांत भवन की नींव(ड.पी.सी.) को उंचा उठाकर गली में रैम्प/सीढियां बनाकर गली को घेर लिया जाता है। इस बारे संबधित भवन निरीक्षक को उचित कर्रवाई करने के निर्देश दिये गये। **(भवन निरीक्षक द्वारा कार्रवाई की जानी है)**
19.	सभी अधिकारियो के फोन में सभी पार्षदो के नम्बर फीड करवाने बारै	इस नगर निगम के सभी अधिकारियों/कर्मचारियो को निर्देश दिये गये कि उनके मोबाईल मे सभी पार्षदों के नाम व फोन नं0 फीड किये जाये तथा पार्षदो के फोन को तुरन्त सुना जाये।
20.	नगर निगम में सम्पदा संरक्षण सैल (Property Protection cell) का गठन करने बारे।	निदेशक शहरी स्थानीय के निर्देशानुसार नगर निगम में सम्पदा संरक्षण सैल (Property Protection cell) का गठन किया गया। इसमे अधीक्षक अभियंता, नगर निगम, रोहतक।-नोडल आफिसर, कार्यकारी अभियन्ता-। नगर निगम रोहतक-सदस्य, कार्यकारी अभियन्ता-।। नगर निगम रोहतक -सदस्य, क्षेत्रीय कराधान अधिकारी, नगर निगम, रोहतक -सदस्य, भू-अधिकारी, नगर निगम, रोहतक-सदस्य तथा नायब तहसीलदार, नगर निगम, रोहतक -सदस्य होंगे। भू-अधिकारी इस संदर्भ में आगामी कार्रवाई हेतू नोडल आफिसर को केस प्रस्तुत करेंगे।
21.	डेंगू से बचने के लिए नगर निगम क्षेत्र में स्प्रे करवाने बारे।	इस बारें मुख्य/वरिष्ठ सफाई निरीक्षक को मुख्य चिकित्सा अधिकारी से समन्वय स्थापित करनके नगर निगम क्षेत्र मे स्प्रे करवाने के निर्देश दिये।
22.	खेडी साध गांव में बूस्टर पंप के बिजली बिल भुगतान बारे।	बिजली विभाग के अधिकारी द्वारा बताया गया कि खेडी साध गांव में बूस्टर पंप के बिजली का बिल जोकि लगभग 1 लाख हो गया है का भुगतान नही किया जा रहा है। इस बारे अधीक्षक अभियंता, नगर निगम को दिनांक 17.01.2014 को स्थिति का वास्तविक जायजा लेकर तुरन्त कार्रवाई के निर्देश दिये।

आयुक्त नगर निगम रोहतक ने सभी उपस्थित पार्षदों को अनुरोध किया कि नगर निगम तथा अन्य विभागों से सम्बन्धित सभी प्रकार की समस्याओं/शिकायतों/सुझावों को लिखित रूप में क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-कम- नोडल आफिसर को दे ताकि उनका समयबद्ध तरीके से निपटान/निदान करवाया जा सके। आयुक्त नगर निगम रोहतक ने क्षेत्रीय कराधान अधिकारी-कम- नोडल आफिसर को निर्देश दिये कि पार्षदों से लिखित रूप में प्राप्त समस्याओं/शिकायतों/सुझावों को संबधित विभागों को भिजवायें तथा रिपोर्ट लेकर पार्षदों को भी सूचित करें।

इसके उपरांत मेयर, नगर निगम द्वारा सभी उपस्थित पार्षदों तथा अधिकारियों का धन्यवाद करते हुए बैठक समाप्ति की घोषणा की।

दिनांकः

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 269-273 दिनांक: 17/11/2014

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है:-

1. श्री दीपेन्द्र सिहं हुड्डा, सांसद, रोहतक लोक सभा क्षेत्र।
2. श्री शादी लाल बत्तरा, राज्य सभा सदस्य।
3. श्री भूपेन्द्र सिहं हुड्डा, विधान सभा सदस्य, गढी-सांपला किलोई।
4. श्री मनीष ग्रोवर, विधान सभा सदस्य, रोहतक।
5. श्रीमती शकुन्तला खटक, विधान सभा सदस्य, कलानौर।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 274-279 दिनांक: 17/11/2014

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतू प्रेषित है:-

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, चण्डीगढ़।
2. निदेशक, शहरी स्थानीय निकाय, हरियाणा, पंचकूला।
3. उपायुक्त, रोहतक।
4. प्रशासक, हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, रोहतक।
5. सभी पार्षदगण, नगरनिगम, रोहतक।
6. निजि सहायक, आयुक्त को आयुक्त, नगर निगम रोहतक के सूचनार्थ।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।

क्रमांक MCR/NT/2014/ 280-281 दिनांक: 17/11/2014

उपरोक्त की एक प्रति निम्नलिखित को इस अनुरोध के साथ भेजी जाती है कि कृप्या अपने से संबधित कार्य को निश्चित समयावधि में करवाकर 15 दिन के अन्दर-2 बिन्दुवाईज पालना रिपोर्ट नगर निगम रोहतक के कार्यालय में भिजवायें ताकि सदन की आगामी बैठक में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जा सके।

1. सभी विभागाध्यक्ष, नगर निगम, रोहतक।
2. सभी संबधित अधिकारी।

मेयर,
नगर निगम, रोहतक।